

2014 का विधेयक संख्या-1

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम परिवर्तन करने और कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 है।
(2) यह 21 सितम्बर 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम परिवर्तन.- (1) कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 20), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबन्ध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उस विश्वविद्यालय के यथा-परिवर्तित नाम से उसके प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरन्तरता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

3. संशोधन.- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से, संशोधित हो जायेगा।

(2) उप-धारा(1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

4. मूल अधिनियम का प्रोद्धारण.- मूल अधिनियम को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 के रूप में प्रोद्घृत किया जायेगा।

5. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन और संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं.23) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

धारा 1.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 2.- विद्यमान खण्ड (य) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(य) “विश्वविद्यालय” से इस अधिनियम के अधीन यथा स्थापित और गठित श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अभिप्रेत है;”।

धारा 3.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर” के स्थान पर अभिव्यक्ति “श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर” प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

श्री कर्ण नरेन्द्र शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन शिक्षा के प्रसार और विश्वव्यापीकरण के लिए समर्पित किया था। स्व. श्री कर्ण नरेन्द्र ने 7 जुलाई, 1947 को कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जिसका नाम बाद में उनके नाम से रखा गया था, की स्थापना के लिए 2100 एकड़ भूमि दान की थी।

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर भी श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, के परिसर में ही स्थापित किया गया था।

कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, का नाम परिवर्तन करने और स्वर्गीय श्री कर्ण नरेन्द्र की स्मृति में इसका नाम श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर रखने के लिए शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, राजनैतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, चूंकि वह भूमि जिस पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, उनके द्वारा दान की गई थी, इसलिए, विश्वविद्यालय का नाम श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर रखा जाना उचित होगा।

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विधेयक, 2013 को विधान सभा द्वारा काफी विचार विमर्श के पश्चात् पारित किया गया था। विधेयक के पारित किये जाने के दौरान माननीय विधान सभा सदस्यों के बीच हुए विचार विमर्श में विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर रखा जायें। उक्त विचार विमर्श के दौरान राज्य सरकार ने इस मांग पर पुनर्विचार करने के लिए सदन को आश्वस्त किया था।

माननीय विधान सभा सदस्यों, जोबनेर के नागरिकों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों की मांग को पुरा करने के लिए और स्वर्गीय श्री कर्ण नरेन्द्र की स्मृति को बनाये रखने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के नाम को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, के रूप में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

अन्य विश्वविद्यालयों के साथ समानता रखने के लिए, राज्य सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा 53 को संशोधित करने का विनिश्चय किया था ताकि प्रथम कुलपति की पदावधि को एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष रखा जा सके।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 21 सितम्बर, 2013 को कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन और संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं.23) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 21 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुआ।

अब सरकार ने विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की पदावधि का विस्तार करने के मामले पर पुनर्विचार किया है और उक्त कालावधि का विस्तार न करने का विनिश्चय किया है। अतः धारा 53 में प्रस्तावित संशोधन को छोड़+ दिया गया है।

यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को यथा पूर्वोक्त उपांतरण सहित प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

प्रभु लाल सैनी,
प्रभारी मंत्री।

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013
(2013 का अधिनियम सं. 20) से लिये गये उद्धरण

XX	XX	XX	XX
1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 है।			
(2) से (3)	XX	XX	XX
2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-			
(क) से (म) तक	XX	XX	XX
(य) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन यथास्थापित और गठित कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अभिप्रेत है;			
(यक) से (यख)	XX	XX	XX
3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.- (1) राजस्थान राज्य में जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।			
(2) से (6)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

(Authorised English Translation)

**THE AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER
(CHANGE OF NAME) BILL, 2014
(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

A

Bill

to change the name of the Agriculture University, Jobner and to amend the Agriculture University, Jobner Act, 2013.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Agriculture University, Jobner (Change of Name) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 21st September, 2013.

2. Change of name of the Agriculture University, Jobner.- (1) The name of the Agriculture University, Jobner incorporated under the Agriculture University, Jobner Act, 2013 (Act No. 20 of 2013), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner.

(2) Any reference to the Agriculture University, Jobner in any law for the time being in force or in any indenture, instrument, or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Amendment.- (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the schedule.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

4. Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner Act, 2013.

5. Repeal and savings.- (1) The Agriculture University, Jobner (Change of Name and Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 23 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

THE SCHEDULE**(See section 3)**

Section 1.- In sub-section (1), for the existing expression “the Agriculture University, Jobner Act”, the expression “the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner Act” shall be substituted.

Section 2.- For the existing clause (z), the following shall be substituted, namely:-

“(z) “University” means the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner as established and constituted under this Act;”.

Section 3.- In sub-section (1), for the existing expression “the Agriculture University, Jobner”, the expression “the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner ” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sri Karan Narendra is a well known name in the field of education. He devoted his entire life for the spread and universalization of education. Late Sri Karan Narendra donated 2100 acres of land for establishment of the Agriculture College, Jobner on 7th July, 1947 which was named after him.

Agriculture University of Jobner has also been established in the premises of Sri Karan Narendra College of Agriculture, Jobner.

Many representations of educationists, intellectuals, political leaders and social organizations were received to change the name of the Agriculture University, Jobner and to rename it as the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner in the memory of Late Sri Karan Narendra as the land on which the University has been set up was donated by him it will be appropriate to name the University as Sri Karan Narendra University Agriculture, Jobner.

The Agriculture University, Jobner Bill, 2013 was passed by the Legislative Assembly after lot of discussions. During the discussions in the Legislative Assembly during the passing of the Bill, several Hon'ble Members of the Legislative Assembly had demanded that Agriculture University, Jobner may be renamed as Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner. The State Government had assured the House during the discussion to reconsider this demand.

To meet the demand of the Hon'ble Legislative Assembly Members, citizens of Jobner, educationists and social organizations for changing the name of the Agriculture University, Jobner and to keep the memory of Late Sri Karan Narendra alive, it is proposed to change the name of the Agriculture University, Jobner as the Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner.

In order to keep parity with the other Universities the State Government had decided to amend section 53 of the Agriculture

University, Jobner Act, 2013 so as to keep the tenure of the first Vice-Chancellor as three years in place of one year.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Agriculture University, Jobner (Change of Name and Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 23 of 2013) on 21st September, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 21st September, 2013.

Now the Government has reconsidered the issue of extending the term of office of the first Vice-Chancellor of the University and has decided not to extend the period. Hence, the amendment proposed in section 53 has been dropped.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with the modification as aforesaid.

Hence the Bill.

प्रभु लाल सैनी,
Minister Incharge.

2014 का विधेयक सं.1

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम परिवर्तन करने और कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(प्रभु लाल सैनी, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 1 of 2014

**THE AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER
(CHANGE OF NAME) BILL, 2014**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to change the name of the Agriculture University, Jobner and to amend the Agriculture University, Jobner Act, 2013.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Prabhu Lal Saini, **Minister-Incharge**)